

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बुध्दस्तिवार, मार्च 30, 1978/चैत्र 9, 1900
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1978/CHAITRA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अभिस्चना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1978

काफी नियंत्रण

का०आ० 221(अ) —काफी नियम, 1955 के नियम 3 के उप-नियम (2) तथा नियम 4 के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1912 का 7) की धारा 4 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में पदद्वारा नियुक्त करती

515 GI/77

(411)

है और यह विनिश्चित करती है कि वे भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 15 फरवरी, 1981 तक उक्त पद पर रहेंगे जिसमें 15 फरवरी, 1981 भी शामिल है :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. अग्रवाणी निवेशक
कन्नटक सरकार,
बंगलूर। | कन्नटक सरकार के प्रतिनिधि |
| 2. श्री के० भक्तध्रुवन,
पन्नैकडु (डाकखाना) 624210,
मदुरई जिला
(श्री सी० एम० पुनाचा के स्थान पर जिन्होंने
त्याग-पत्र दे दिया है) | उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि |
| 3. श्री के० टी० भगत,
बागान गृह,
रत्नगिरि रोड, चिकमागलूर-577101 | अन्य हितों के प्रतिनिधित्व |
| 4. श्री ए० के० शशीन्द्रन,
इंद्रालयम,
डाकखाना चौवा, कन्नूर,
केरल। | |

पी० के० कोल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES
AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1978

COFFEE CONTROL

S.O. 221 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), read with sub-rule (2) of rule 3 and rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coffee Board to represent the interests mentioned against them and specified that they shall hold office as such with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto and inclusive of the 15th February 1981.

- | | |
|---|---|
| 1. Director of Horticulture, Govern-
ment of Karnataka, Bangalore. | Representative of Karnataka Government. |
| 2. Shri K. Bhakthadhrvan, Pannai-
kadu (Post) 624210, Madurai Dis-
trict.
(Vice Shri C.M. Poonacha—
resigned) | Representative of Consumers. |
| 3. Shri K.T. Bhagat, Plantation
House, Rathnagiri Road, Chickma-
galur-577101. | Representatives of Other Interests. |
| 4. Shri A.K. Saseendran, Indralayam,
P.O. Chowa, Cannanore, Kerala. | |

P.K. KAUL, Addl. Secy.